न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 02.05.2024

मुकदमा नम्बर 158 / 2023
ऑनलाईन नम्बर 2023 / 307
नथाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवारी धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

राजस्थान सरकार तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ ।

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 264 तादादी 1.7100 हैक्टेयर रोही धनेरू में स्थित है जिसका सीमाज्ञान दिनांक 01.11.2023 को तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश की पालना में किया गया था। उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत की भूमि दबी हुई पाई गई है। उक्त दबी हुई भूमि की पत्थरगढ़ी करवाकर नयी सीमा मौके पर राजस्व नक्शे के अनुसार कायम की जानी है जिससे प्रार्थी की भूमि की सीमाएं राजस्व नक्शे के अनुसार कायम की जा सकें। प्रार्थी के द्वारा खेत का सीमाज्ञान करवाने के बाद भी आज तक नयी सीमा सीमाज्ञान के अनुसार कायम नहीं की है प्रार्थी अपने खेत की राजस्व रिकार्ड के अनुसार सीमाएं कायम करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी के खेत की भूमि दबी हुई होने से आगे बरसात का मौसम शुरू होने से पूर्व नई सीमा कायम करवाई जानी अत्यन्त आवश्यक है इसलिए आज ही तहसीलदार को राजस्व नक्शा के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की भूमि रोही धनेरू में अवस्थित है जो श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत गत खसरा नम्बर 264 तादादी 1.7100 हैक्टेयर रोही धनेरू का सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी करने का आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 264 तादादी 1.7100 हैक्टेयर रोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी प्रार्थी की पृथक से दर्ज है। खसरा नंबर 264 के सीमाचिन्ह जो नक्शे में मौजदू है उनके आधार पर अथवा मौके के अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000 / –रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिश्नर प्रार्थी द्वारा वहन की जावेगी। विवाद की स्थिति में पुलिस जाब्ता लेकर सीमाज्ञान कर पत्थगढी करवाया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 02.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:30:45 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)